उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या–3092–औ0सं0/2015–11(12)ए0एस0/2006 दिनांक 10 अगस्त, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों द्वारा कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट **www.uppcl.org-Personnel** पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं0–4452–औस–17/पाकालि/2009, दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश सं0–3593–औस–17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसा), लखनऊ के पत्र सं0–3226/मु0अ0/ले0 दिनांक 08.07.2015 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या एवं संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में **''डेन्टल केयर क्लीनिक, 3–नवल किशोर रोड, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ–मो0नं0–9235838777/9235858153''**, को दन्त की चिकित्सा हेतु कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0 मानक दरों पर एतद्द्वारा **(एकल विशिष्टता)** दन्त रोग के उपचार हेतु दिनांक 30.06.2016 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश सं0–2088–एन0जी0–2/एस0ई0बी0(चार)29–एन0जी0–2/78, दिनांक 24.05.1978 में निहित प्राविधानों एवं समय–समय पर निर्गत आदेशों तथा शर्तो के अधीन अनुमन्य होगी।

1– चिकित्सक को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।

2– चिकित्सक को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि **''उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.06.2016 तक के लिए मान्यता प्राप्त''**।

3– चिकित्सक को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और प्रति तीन माह में निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, शक्ति भवन को भेजनी होगी:–

(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।

(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।

(ग) रोगी द्वारा उपचार कराये जाने की तिथि।

(घ) रोग का नाम (डायग्नोसिस)।

(ड) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

4– चिकित्सक द्वारा कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की वेब साइट **www.uppcl.org-Personnel** पर दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

5– निर्धारित/अनुमोदित दरों से विचलित होने पर सम्बन्धित चिकित्सक को दी गयी मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

....2

MEDICAL/661

संख्याः–3092–(1) औस/पाकालि/2015–तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।

3– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– निदेशक (का0प्र0), ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।

5– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्याँचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमाँल, मेरठ/ दक्षिणाँचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।

6– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

7– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

8– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, को उपलब्ध करा दें।

9– महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

10– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

11– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव–प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

12– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org-Personnel** पर लोड करने हेतु।

13– सलाहकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

14– डा0 अंजु लुम्बा, डेन्टल केयर क्लीनिक, 3–नवल किशोर रोड, अशोक मार्ग हजरतगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ से प्राप्त पंजीकरण की प्रति शीघ्र प्राप्त करके उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

15– सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।

16– कट फाइल।

Nat Mathur 10.8.15

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी